दस रुपये TEN RUPEES दस रुपये TEN RUPEES

न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, राजस्व मंडल ग्वालियर कैम्प भोपाल

प्रकरण कमांक /निगरानी/2017

II/निगरानी/सीहोर/भू.रा/2018/0503

(81)

श्रीमति ममता बाई पत्नि श्री हरिसिंह आयु 40 वर्ष
निवासी ग्राम मैनीखेड़ी तहसील व जिला सीहोर म0प्र0 ।.....निगरानीकर्ता

विरूद्ध

धर्मेन्द्र राठौर आ. श्री राधेश्याम राठौर आयु 32 वर्ष
निवासी शुगर फैक्ट्री चौराहा के पास, सीहोर तहसील
व जिला सीहोर म0प्र0 ।.....रेस्पाण्डेंट

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 11/12/2017 प्रकरण कमांक 07/अ-12/17-18 पारित द्वारा श्रीमान् तहसीलदार महोदय, तहसील व जिला सीहोर

प्रकरण जो आहुत किये जाने हैः-

01. प्रकरण कमांक 07/अ-12/17-18 तहसीलदार महोदय तहसील व जिला सीहोर म0प्र0 दिनांक 11/12/2017 सीमांकन प्रकरण ग्राम मैनीखेड़ी तहसील व जिला सीहोर

श्रीमान् जी,

निगरानीकर्ता आदेश दिनांक 11/12/2017 से दुखी एंव प्रभावित होकर प्रकरण कमांक **07/अ-12/17-18** से प्रभावित एंव दुखी होकर निम्न निगरानी उचित समय सीमा में प्रमाणित प्रति प्राप्त होने के बाद नियत समय सीमा में प्रस्तुत करती हैः-

प्रकरण के तथ्य

01. यह कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पाण्डेंट द्वारा विधि एवं प्रकिया के विपरीत जाकर विधि विरूद्ध तरीके दुषित आदेश पारित कराते हुये प्रकरण कमांक 07/अ-12/17-18 के माध्यम से संलग्न पंचनामे एवं प्रतिवेदन दिनांक 11/12/2017 को आधार बनाकर अवैधानिक सीमांकन धारा 129 म.प्र.भू.रा.सं. 1959 के विपरीत जाकर मेढ़िया कृषकों एवं निगरानीकर्ता को विधिवत सूचना पत्र जारी किए बगैर राजस्व प्रकिया के विपरीत जाकर अवैधानिक एंव दुषित प्रकिया का पालन करते हुये भूमि का सीमांकन किया गया दिखावटी एंव फर्जी तरीके से किये गये सीमांकन दिनांक 11/12/2017 को निगरानीकर्ता निम्न विधिक आधारों पर चुनौती देती हैः-

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक II/निगरानी/सीहोर/भू-रा./2018/0503 जिला - सीहोर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा आदि के हस्ताक्षर
28-8-2019	प्रकरण आज प्रस्तुत । प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी तहसीलदार, तहसील सीहोर जिला सीहोर द्वारा पारित आदेश दिनांक 11-12-2017 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम 2018 जो 27 जुलाई 2018 को मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित हुआ है, तथा दिनांक 25-09-2018 से लागू हुआ है । संशोधित अधिनियम की धारा 54 के अनुसार संशोधित अधिनियम 2018 के प्रवृत्त होने के ठीक पूर्व लंबित पुनरीक्षण के संबंध में धारा 54(क) के अनुसार "यदि वे किसी आवेदक के आवेदन पर शुरू की गई हों, मण्डल या उपरोक्त संशोधन अधिनियम द्वारा यथा संशोधित अधिनियम की धारा 50 की उपधारा 1 के अधीन उन्हें सुने जाने हेतु विनिश्चत किये जाने के लिए सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिए अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" चूंकि आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार, तहसील सीहोर जिला सीहोर न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । अतः संशोधित अधिनियम की धारा 54(ए) के अंतर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर, सीहोर को भेजा जाता है । कलेक्टर, सीहोर प्रकरण पंजीबद्ध कर म0प्र0 भू0रा0 सं0 की धारा 50 (1)(सी) के अंतर्गत पक्षकारों की सुनवाई कर यथोचित आदेश पारित करें । उभय पक्षकार दिनांक 22-10-2019 को कलेक्टर के समक्ष उपस्थित हों । अध्यक्ष	